कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक– शिविरा–मा/संस्था/गोप्र/शालादर्पण/Online module/2020–21 दिनांक–13.09.2021

तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, जयपुर।

विषयः– शाला दर्पण APAR Module को अद्यतन करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि शाला दर्पण पोर्टल पर APAR module में निम्नानुसार अद्यतन/सुधार करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें:–

1. लोकसेवक एक वर्ष में एक से अधिक अवधि के अनुसार एक से अधिक Reporting Officer का चयन करता है तो अंतिम अवधि के Repoting Officer के साथ ही Reviewing officer का चयन का सर्च का ऑप्शन आना चाहिए। अन्य अवधि के लिए में केवल Reporting Officer का चयन का आप्शन रहे।
2. वर्तमान में मॉड्यूल में यदि कोई लोकसेवक नो एपीएआर की प्रविष्टि की जानी के साथ पर यदि बिन्दु संख्या 2 से 5 के मध्य का चयन करें तो उक्त प्रविष्टि का सत्यापन संबंधित सीबीईओ लॉगिन/अन्य उच्च कार्यालय से होता है। फिल्ड से रिर्पोट से ज्ञात हुआ है कि इस व्यवस्था से अनावश्यक विलंब हो रहा है अतः यह सत्यापन संबधित अंतिम Reporting Officer से ही करवाया जाए।
3. NO Apar प्रकरण में दिनांक 06.9.2021 को प्रेषित मेल के अनुसार कार्यवाही की जानी है।
4. ऐसी परिस्थिती जिसमें किसी Reporting/Reviewing officer के पास लोकसेवक प्राप्त प्रतिवेदन उनकी स्टाफ विडों पर मौजूद है संबंधित अधिकारी द्वारा उनकों प्रेषित करने पूर्व यदि कोई अनहोनी या सेवानिवृति हो जाए तो उन समस्त लोकसेवकों का आवेदन जो कि संबंधित अधिकारी के स्टाफ विडों पर मौजूद है का स्थानान्तरण की व्यवस्था की जानी है।
5. E-sign की व्यवस्था Reporting Officer, Reviewing Officer, Accepting Officer के साथ–साथ Reportee लेवल पर भी प्रारंभ किया जाए।
6. Reporting/Reviewing/AcceptingOfficer लेवल पर E-sign के दो ऑप्शन रखे जाए
   A- आधार बेस ओटीपी
   B- डोगल के द्वारा डिजिटल sign, जिससे इन लेवल पर E-sign की त्वरित कार्यवाही हो सके।
7. DIR_ACR लॉगिन पर स्थाई रूप से मॉड्यूल का Trial/demo वर्जन उपलब्ध करवाया जाए जिससे फिल्ड की समस्या का समाधान किया जा सके तथा मॉड्यूल में किए गए परिवर्तन एवं अपडेट को समय–समय पर चैक किया जा सके।
8. वर्तमान मॉड्यूल में Reportee एवं Reporting Officer को प्रत्येक प्रतिवेदन पर दो Step में कार्य कर रहा है । इसका सरलीकरण किया जा जाना है। लोकसेवक अपने apar चैनल का वैरिफिकेशन के साथ ही अपना APAR आवेदन Reporting Officer को प्रेषित करें। यदि reporting द्वारा लोकसेवक से प्राप्त चैनल की request स्वीकार करता है तो तुरंत Reporting Officer की लॉगिन पर लोकसेवक का आवेदन भी तत्काल प्रदर्शित होना चाहिए। जिससे आवेदन के पार्ट–2 पर Reporting Officer अपना मूल्यांकन दर्ज कर तत्काल आगे प्रेषित कर सके। यदि लोकसवेक से प्राप्त चैनल request अस्वीकार होती है तो लोकसेवक को पुनः चैनल सेट करने का सुविधा मिले तथा पूर्व में भरा हुआ आवेदन edit mode पर मिले।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/संस्था/गोप्र/शाला दर्पण/Online Module/2020–21 दिनांक–13.09.21

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

1. शाला दर्पण प्रभारी, जयपुर/बीकानेर प्रकोष्ठ।
2. कम्प्यूटर अनुभाग, कार्या. हाजा।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)